nwda.gov.in

जल भंडारण क्षमता 15% घटी, केंद्र ने राज्यों को किया आगाह

मनीष तिवारी • नई दिल्ली

- गाद प्रबंधन में ढिलाई से कम हो रही नदियों और जलाशयों की क्षमता
- राज्यों को तकनीकी सलाहकार समिति बनाने के लिए कहा गया

राष्ट्रीय जल आयोग ने गाद प्रबंधन में ढिलाई के कारण नदियों व जलाशयों की भंडारण क्षमता में आ रही गिरावट पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्यों को आगाह किया है कि वे इसमें सुधार करें। देश के प्रमुख जल स्त्रोतों की भंडारण क्षमता में अब तक करीब 15 प्रतिशत तक नुकसान पहले ही हो चुका है। यदि इस ओर एकीकृत तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति गंभीर होती जाएगी।

पिछले दिनों राज्यों के साथ इस मसले पर बैठक में केंद्र ने एक प्रेजेंटेशन के जरिये स्थिति की गंभीरता सामने रखी। साथ ही केंद्र ने राज्यों को सुझाव दिया कि वे इस मामले की निगरानी के लिए अपने यहां प्रधान सचिव (सिंचाई) की अध्यक्षता में सलाहकार तकनीकी समिति का गठन करें, जो निश्चित अंतराल में गाद प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करे। जलशक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नदियों व जलाशयों में गाद निकालने में ढिलाई के कारण पानी की लाइव स्टोरेज क्षमता में हर साल आधा प्रतिशत की कमी आ रही है। वर्तमान में यह क्षमता 258 अरब क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, लेकिन गाद प्रबंधन में कोताही, जल स्त्रोतों के आसपास अतिक्रमण, बढ़ते शहरीकरण जैसी समस्याओं के कारण करीब 34 अरब क्यूबिक मीटर क्षमता कम हो चुकी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो अगले 20 साल में यह मात्रा 50 बीसीएम पहुंच सकती है। यह कितनी बड़ी मात्रा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में अप्रैल-मई में जल भंडारण औसतन 55 बीसीएम के आसपास रहा है।

अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन में अतिक्रमण व शहरीकरण के साथ अनियंत्रित खनन, नदी प्रबंधन के अनियोजित कार्यों, निर्माण गतिविधियों और पानी के अत्यधिक दोहन को भी समस्या की गंभीरता के लिए जिम्मेदार बताया है।